

24/01/2023

अगिलेख उपस्थापित । देनदार के द्वारा पुष्टि
किमा गमा कि उनके द्वारा नीलाम पत्र वाद को
लोक अदालत में बंद करा दिया गया है तथा
लोक अदालत की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत किया
गया ।

तत्पश्चात कार्यालय से नाम एवं पता
कार्यालय से मिलान किया खती पाया ।

अगिलेख की कार्टवाई बंद की जाती
है ।

लेखापित्र

24/1/23
नीलाम पत्र पदाधिकारी
- पा कुलिमा ।